

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/30/2018-अ.भा.से.-I

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 16 जुलाई, 2018

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार, एतद्वारा श्रीमती अनुज मलिक, आई.ए.एस. (एजीएमयूटी:2017) का श्री गौरव सिंह सोगरवाल, आई.ए.एस. (उत्तर प्रदेश:2017) से विवाह होने के आधार पर एजीएमयूटी संवर्ग से उत्तर प्रदेश संवर्ग में स्थानांतरण करते हैं।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-23094142

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, दिल्ली।